This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 30 नवम्बर, 2023 / 09 मार्गशीर्ष, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 9 नवम्बर, 2023

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–14 / 2023–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023

(2023 का विधेयक संख्यांक 11) को दिनांक 02–11–2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 11 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

ओदश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
सचिव (विधि)।

————————

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम।

2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

3. व्यावृत्तियां।

अनुसूची।

————————

2023 का अधिनियम संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2023

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 02 नवम्बर, 2023 को यथा अनुमोदित)

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 2023 है।

2. **कतिपय अधिनियमितियों का निरसन**.––अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

3. **व्यावृत्तियां.**––इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियमिति का निरसन,–

(क) किसी अन्य अधिनियमिति, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हो, पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ख) किसी भी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात को, जो इस समय विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं करेगा; या

(ग) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन या तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(घ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ङ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन, उसके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्रवाई या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग के या से किसी निर्मोचन या उन्मोचन या पूर्व मंजूर की गई क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(च) विधि के किसी भी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, प्ररूप या अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया के अनुक्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को इस बात के होते हुए भी कि वे किसी भी प्रकार से एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसमें या उससे, क्रमशः अभिपुष्ट या मान्य या व्युत्पन्न हुए हों, प्रभावित नहीं करेगा; या

(छ) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियमिति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं डालेगा; या

(ज) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ था।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

वर्ष	अधिनियम संख्या	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1882	15	प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882	सम्पूर्ण
1884	12	कृषक उधार अधिनियम, 1884	सम्पूर्ण
1887	9	प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887	सम्पूर्ण
		मण्डी लघु वन उपज दोहन एवं नियति अधिनियम, 1997 (विक्रमी सम्वत्) एवं 1941	सम्पूर्ण
		चम्बा लघु वन उपज दोहन एवं नियति अधिनियम, 2003 (विक्रमी सम्वत्)	सम्पूर्ण
1953	7	पंजाब तम्बाकू विक्रेता फीस निरसन अधिनियम, 1953	सम्पूर्ण
1955	6	हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन अधिनियम, 1954	सम्पूर्ण
1965	17	पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965	सम्पूर्ण
1968	15	पंजाब वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कराधान (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम, 1968	सम्पूर्ण
1984	22	हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1984	सम्पूर्ण

2000	19	हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापना में) संरक्षण अधिनियम, 1999	सम्पूर्ण
2003	21	हिमाचल प्रदेश सह–चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2003	सम्पूर्ण
2008	14	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लम्बित मामलों तथा आवेदनों का अन्तरण) अधिनियम, 2008	सम्पूर्ण

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING ACT, 2023

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Repeal of certain enactments.
3. Savings.
THE SCHEDULE.

———————

Act No. 11 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH REPEALING ACT, 2023

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 2ND NOVEMBER, 2023)

AN

ACT

to repeal certain enactments.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Repealing Act, 2023.

2. Repeal of certain enactments.—The enactments specified in THE SCHEDULE are hereby repealed.

3. Savings.—The repeal by this Act of any enactments shall not,—

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or

(b) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force; or

(c) affect the previous operation of any enactments so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or

(d) affect any right, title, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any enactment so repealed; or

(e) affect any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim, or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing under any enactment so repealed; or

(f) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively, may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed; or

(g) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or

(h) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment, as aforesaid;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

THE SCHEDULE
(*see* Section 2)

Year	Act Number	Short Title	Extent of Repeal
1	2	3	4
1882	15	The Presidency Small Cause Courts Act, 1882	The Whole
1884	12	The Agriculturists Loans Act, 1884	The Whole
1887	9	The Provincial Small Cause Courts Act, 1887.	The Whole
-	-	The Mandi Minor Forest Produce Exploitation and Export Act, 1997 (Vikrami Samvat) and 1941.	The Whole
-	-	The Chamba Minor Forest Produce Exploitation and Export Act, 2003 (Vikrami Samvat).	The Whole
1953	7	The Punjab Tobacco Vend Fees (Repealing) Act, 1953.	The Whole
1955	6	The Himachal Pradesh Private Forest Act, 1954.	The Whole
1965	17	The Punjab Labour Welfare Fund Act, 1965.	The Whole

1968	15	The Punjab Professions, Trades, Callings and Employment Taxation (Himachal Pradesh Repealing) Act, 1968.	The Whole
1984	22	The Himachal Pradesh Preservation of Forests and Maintenance of Supplies of Forest Based Essential Commodities Act, 1984.	The Whole
2000	19	The Himachal Pradesh Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999.	The Whole
2003	21	The Himachal Pradesh Paramedical Council Act, 2003.	The Whole
2008	14	The Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Transfer of Decided and Pending Cases and Applications) Act, 2008.	The Whole

---

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 18 नवम्बर, 2023

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–17 / 2023–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 16) को दिनांक 14–11–2023 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2023 के अधिनियम संख्यांक 12 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

ओदश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 10 का संशोधन।
4. धारा 16 का संशोधन।
5. धारा 17 का संशोधन।
6. धारा 23 का संशोधन।
7. धारा 24 का संशोधन।

8. धारा 30 का संशोधन।
9. धारा 37 का संशोधन।
10. धारा 39 का संशोधन।
11. धारा 44 का संशोधन।
12. धारा 52 का संशोधन।
13. धारा 54 का संशोधन।
14. धारा 56 का संशोधन।
15. धारा 62 का संशोधन।
16. धारा 109 का प्रतिस्थापन।
17. धारा 110 और 114 का लोप।
18. धारा 117 का संशोधन।
19. धारा 118 का संशोधन।
20. धारा 119 का संशोधन।
21. धारा 122 का संशोधन।
22. धारा 132 का संशोधन।
23. धारा 138 का संशोधन।
24. धारा 158क का अंतःस्थापन।
25. अनुसूची 3 का संशोधन।
26. अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट।
27. अस्थायी उपबन्ध।

————————

2023 का अधिनियम संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 14 नवम्बर, 2023 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में,–

(क) खंड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

''(80क.) ''ऑनलाइन गेम खेलना'' से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;

(80ख.) ''ऑनलाइन धनीय गेम खेलना'' से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल ऑस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल ऑस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;

(ख) खंड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(102क.) ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे'' से,–

(i) दाव लगाने; या
(ii) कैसिनो; या
(iii) द्यूतक्रीड़ा; या
(iv) घुड़दौड़; या
(v) लॉटरी; या
(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना;

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है;'';

(ग) खंड (105) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ये अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो; '; और

(घ) खंड (117) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(117क.) ''आभासी डिजिटल आस्ति'' का वही अर्थ होगा, जो आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (47क.) में उसको समुनदेशित है;'';

3. धारा 10 का संशोधन.––मूल अधिनियम, की धारा 10 में, –

(क) उप–धारा (2) के खण्ड (घ) में, ''माल या'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ख) उप–धारा 2(क) के खण्ड (ग) में, ''माल या'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

4. धारा 16 का संशोधन.––मूल अधिनियम, की धारा 16 की उप–धारा (2) में,–

(i) दूसरे परंतुक में, ''उस पर ब्याज सहित, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आऊटपुट पर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर, "धारा 50 के

अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा'' शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ii) तीसरे परन्तुक में, ''उसके द्वारा'' शब्दों के पश्चात् ''आपूर्तिकर्ता को'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

5. **धारा 17 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 17 में,–

(क) उप–धारा (3) के स्पष्टीकरण में, ''उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट से अन्यथा अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।'' शब्दों, अंक और चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

''निम्नलिखित के सिवाय अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा,–

(i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य; और

(ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किए जाएं''; और

(ख) उप–धारा (5) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(च क) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाओं या दोनों जिनका कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं में संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है;"।

6. **धारा 23 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:–

"(2) धारा 22 की उप–धारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो इसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट दी जा सकेगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।"।

7. **धारा 24 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 24 में; –

(क) खंड (xi) के अन्त में, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और''।

8. **धारा 30 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 30 की उप–धारा (1) में; –

(क) "रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "ऐसे अधिकारी को ऐसी रीति, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों

के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा।

9. धारा 37 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 37 की उप–धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, कर अवधि के लिए उप–धारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उप–धारा (1) के अधीन कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।''।

10. धारा 39 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 39 की उप–धारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।''।

11. धारा 44 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उप–धारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, उप–धारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उप–धारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।''।

12. धारा 52 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 52 की उप–धारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(15) किसी प्रचालक को, उप–धारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को, उप–धारा (4) के अधीन उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से उक्त तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।''।

13. धारा 54 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 54 की उप–धारा (6) में, ''जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं हैं,'' शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

14. धारा 56 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 56 में, ''आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के ठीक पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, तथा ऐसी रीति में संगणित किए जाने वाले, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक, साठ दिन से परे विलंब की ऐसी अवधि के लिए'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

15. धारा 62 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 62 की उप–धारा (2) में,–

(क) "तीस दिन" शब्दों के स्थान पर "साठ दिन" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा, और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप–धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से साठ दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह उक्त निर्धारण आदेश की तामील से साठ दिन के परे विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की अतिरिक्त विलंब फीस के संदाय पर साठ दिन की और अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है तो उक्त निर्धारण आदेश वापस ले लिया गया समझा जाएगा, किन्तु धारा 50 की उप–धारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने या धारा 47 के अधीन विलंब फीस संदाय करने का दायित्व जारी रहेगा।"।

16. धारा 109 का प्रतिस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"109, अपील अधिकरण का गठन और उसकी न्यायपीठ.–इस अध्याय के उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर, 2017 (2017 का 12) के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित ओदशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा।"

17. धारा 110 और धारा 114 का लोप.––मूल अधिनियम की धारा 110 और 114 का लोप किया जाएगा।

18. धारा 117 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 117 की उप–धारा (1) और (5) में "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ" शब्द जहां–जहां आते हैं, के स्थान पर "राज्य न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे।

19. धारा 118 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 118 की उप–धारा में (1) के खण्ड (क) में "राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रांतीय न्यायपीठ" शब्दों के स्थान पर "मूल न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे।

20. धारा 119 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 119 में,–

(क) "राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रांतीय न्यायपीठ" शब्दों के स्थान पर "मूल न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठ" शब्दों के स्थान पर "राज्य न्यायपीठ" शब्द रखे जाएंगे।

21. धारा 122 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 122 में, उप–धारा (1 क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

(1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो––

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसी पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है;

(ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के धारा 52 की उप–धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, यदि ऐसी पूर्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, तो दस हजार रुपए का अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो भी उच्चतर हो।"।

22. धारा 132 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 132 की उप–धारा (1) में,–

(क) खण्ड (छ), खण्ड (ञ) और खण्ड (ट) का लोप किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ठ) में,–

(i) "खण्ड (क) से खण्ड (ट)" शब्दों, कोष्ठक, चिन्हों और अक्षरों के स्थान पर "खण्ड (क) से खण्ड (च) और खण्ड (ज) से खण्ड (झ)" शब्द, कोष्ठक, चिन्ह और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) खण्ड (iii) में, "ऐसे किसी अन्य अपराध" शब्दों के स्थान पर, "खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध" शब्द, चिन्ह, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iii) खण्ड (iv) में, "या खंड (छ) या खंड (ज)" शब्दों, चिन्हों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

23. धारा 138 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 138 में,–

(क) उप–धारा (1) के पहले परंतुक में,–

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(क) किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उप–धारा (1) के खंड (क) से खंड (च), खंड (ज), खंड (झ) तथा खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया है;";

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है;";

(iv) खड (ङ) का लोप किया जाएगा; और

(ख) उप–धारा (2) में ''न्यूनतम रकम दस हजार रुपए या अंतर्वलित करके पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो,'' शब्दों के स्थान पर "अंतर्वलित करके पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम रकम अंतर्वलित करके सौ प्रतिशत से अनधिक'' शब्द रखे जाएंगे।

24. धारा 158क का अंतःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति के आधार पर साझा करना.–(1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उप–धारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, अधिसूचित सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तुत विशिष्टियां या धारा 39 या धारा 44 के अधीन फाइल की गई विवरणी में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे;

(ख) बीजक के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां;

(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।

(2) उप–धारा (1) के अधीन ब्यौरों को साझा करने के प्रयोजनों के लिए,–

(क) उप–धारा (1) के खण्ड (क), (ख) और खण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के सम्बंध में पूर्तिकर्ता की सहमति; और

(ख) उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन और उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के सम्बंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति केवल जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान सम्बंधी जानकारी भी है, ऐसे प्ररूप और रीति में अभिप्राप्त की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के पारिणामिक उद्भूत होने वाली किसी दायित्व के सम्बंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।''।

25. अनुसूची 3 का संशोधन.––मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 6 में, ''लाटरी, दाव और जुआ'' शब्दों के स्थान पर, ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों'' शब्द रखे जाएंगे।

26. अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट.––(1) मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 7 और पैरा 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (2019 के अधिनियम संख्या 1 की धारा 31 द्वारा यथा अंतःस्थापित) को 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

(2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संगृहीत किया गया है किंतु जिसे संगृहीत नहीं किया गया होता यदि उप–धारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

27. अस्थायी उपबन्ध.––इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दाव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

––––––––––

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (2nd AMENDMENT) ACT, 2023

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 10.
4. Amendment of section 16.
5. Amendment of section 17.
6. Amendment of section 23.
7. Amendment of section 24.
8. Amendment of section 30.
9. Amendment of section 37.
10. Amendment of section 39.
11. Amendment of section 44.
12. Amendment of section 52.
13. Amendment of section 54.
14. Amendment of section 56.
15. Amendment of section 62.
16. Substitution of section 109.
17. Omission of sections 110 and 114.
18. Amendment of section 117.
19. Amendment of section 118.
20. Amendment of section 119.
21. Amendment of section 122.
22. Amendment of section 132.
23. Amendment of section 138.
24. Insertion of section 158A.
25. Amendment of Schedule-III.
26. Retrospective exemption to certain activities and transactions in Schedule-III.
27. Transitory provision.

Act No. 12 of 2023

THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (2nd AMENDMENT) ACT, 2023

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE GOVERNOR ON 14TH NOVEMBER, 2023)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2023.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification, in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the "principal Act") ,—

(a) after clause (80), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;

(80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any law for the time being in force;";

(b) after clause (102), the following clause shall be inserted, namely:—

"(102A) "specified actionable claim" means actionable claim involved in or by way of;

(i) betting; or

(ii) casinos; or

(iii) gambling; or

(iv) horse racing; or

(v) lottery; or

(vi) online money gaming;";

(c) in clause (105), the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;"; and

(d) after clause (117), the following clause shall be inserted, namely:—

"(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income Tax Act, 1961(43 of 1961);".

3. Amendment of section 10.—In the principal Act, in section 10, —

(a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall be omitted; and

(b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be omitted.

4. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act, in sub-section (2), —

(i) in the second proviso, for the words and sign "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under section 50" shall be substituted; and

(ii) in the third proviso, after the words "made by him", the words "to the supplier" shall be inserted.

5. Amendment of section 17.—In section 17 of the principal Act, —

(a) in sub-section (3), in the Explanation, for the words and figure "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be substituted, namely:—

"except, —

(i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and

(ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule."; and

(b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

"(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013 (18 of 2023);".

6. Amendment of section 23.—In section 23 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.".

7. Amendment of section 24.—In section 24 of the principal Act,—

(a) in clause (xi), the word "and" occurring at the end, shall be omitted; and

(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:—

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

8. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) for the words "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the words "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted; and

(b) the proviso shall be omitted.

9. Amendment of section 37.—In section 37 of the principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely: —

"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details.".

10. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, after sub-section (10), the following sub-section shall be inserted, namely: —

"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return.".

11. Amendment of section 44.—Section 44 of the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return.".

12. Amendment of section 52.—In section 52 of the principal Act, after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement.".

13. Amendment of section 54.—In section 54 of the principal Act, in sub-section (6), the words and sign "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be omitted.

14. Amendment of section 56.—In section 56 of the principal Act, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the words and sign "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be substituted.

15. Amendment of section 62.—In section 62 of the principal Act, in sub-section (2),—

(a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted; and

(b) for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue.".

16. Substitution of section 109.—In the principal Act, for section 109 the following shall be substituted, namely, —

"109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.—Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.".

17. Ommission of section 110 and 114.—Sections 110 and 114 of the principal Act, shall be omitted.

18. **Amendment of section 117.—**In section 117 of the principal Act, in sub-sections (1) and (5) for the words "State Bench or Area Benches" wherever occurring, the words "State Benches" shall be substituted.

19. Amendment of section 118.—In section 118 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "National Bench or Regional Benches", the words "Principal Bench" shall be substituted.

20. Amendment of section 119.—In section 119 of the principal Act,—

(a) for the words "National or Regional Benches", the words "Principal Bench" shall be substituted;

(b) for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.

21. **Amendment of section 122.—**In section 122 of the of the principal Act, after sub-section (1A), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1B) Any electronic commerce operator who—

(i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;

(ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or

(iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher.".

22. Amendment of section 132.—In section 132 of the of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted;

(b) in clause (*l*),—

(i) for the words, sign and letters "clauses (a) to (k)", the words, sign and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted;

(ii) in clause (iii), for the words "any other offence", the words, sign and letter "an offence specified in clause (b)," shall be substituted; and

(iii) in clause (iv), the words, sign and letters "or clause (g) or clause (j)" shall be omitted.

23. Amendment of section 138.—In section 138 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), in the first proviso,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (*l)* of sub-section 1 of Section 132;";

(ii) clause (b) shall be omitted;

(iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;";

(iv) clause (e) shall be omitted; and

(b) in sub-section (2), for the words and signs "ten thousand rupees or fifty percent of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent of the tax, whichever is higher", the words "twenty-five per cent of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred percent of the tax involved" shall be substituted.

24. Insertion of section 158A—After section 158 of the of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"158A. Consent based sharing of information furnished by taxable person.— (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—

(a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;

(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68; and

(c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—

(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and

(b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,

in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability

arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.".

25. Amendment of Schedule-III.—In the principal Act, in schedule-III, in paragraph 6, for the words and sign "lottery, betting and gambling", the words "specified actionable claim" shall be substituted.

26. Retrospective exemption to certain activities and transactions in Schedule-III.—(1) In Schedule-III to the principal Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of Act 1 of 2019) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

27. Transitory provision.—The amendments made under this Act shall be without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restriction or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

विक्रम जन्मभटी पुत्र श्री भण्डारू राम, निवासी गांव सोलग, डा0 डोभा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

व

श्रीमती सविता कुमारी पुत्री श्री तेजेंद्र कुमार, निवासी गांव व डा0 ग्याबुग, तहसील पूह, जिला किन्नौर (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना–पत्र बराये विवाह पंजीकरण करवाने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी विक्रम जन्मभटी पुत्र श्री भण्डारू राम, निवासी गांव सोलग, डा0 डोभा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती सविता कुमारी पुत्री श्री तेजेंद्र कुमार, निवासी गांव व डा0 ग्याबुग, तहसील पूह, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में संयुक्त तौर पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होंने व्यक्त किया है कि उन्होंने दिनांक 10–02–2022 को व्यवस्थित विवाह हिन्दू रीति–रिवाजों के अनुसार किया है तथा इसकी प्रविष्टि समयबद्ध ग्राम पंचायत डोभा, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः विलम्बित अवधि को मर्जित करके उक्त विवाह की प्रविष्टि हेतु सचिव, ग्राम पंचायत डोभा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को निर्देश दिये जावें।

अतः आम जनता को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण के विवाह की प्रविष्टि दिनांक 10–02–2022 को दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो वह दिनांक

04–12–2023 तक या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर असालतन या वकालतन इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा विक्रम जन्मभटी पुत्र श्री भण्डारू राम, निवासी गांव सोलग, डा0 डोभा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) व श्रीमती सविता कुमारी पुत्री श्री तेजेंद्र कुमार, निवासी गांव व डा0 ग्याबुग, तहसील पूह, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के विवाह की प्रविष्टि करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत डोभा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0) को आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
सदर, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)।

————————

व अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी व तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री योगिन्द्र सिंह राठौर पुत्र रति राम, निवासी टीका छौं, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.–राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरख्वास्त श्री योगिन्द्र सिंह राठौर पुत्र रति राम, निवासी टीका छौं, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका नाम आधार कार्ड व पंचायत रिकार्ड में योगिन्द्र सिंह राठौर दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृत्त बराडा महाल छौं के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम योगिन्द्र सिंह दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 04–12–2023 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख छौं में योगिन्द्र सिंह उर्फ योगिन्द्र सिंह राठौर पुत्र रति राम इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 04–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

व अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी व तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री अजय कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश, निवासी टीका ठाण, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

यह दरख्वास्त श्री अजय कुमार पुत्र प्रेम प्रकाश, निवासी टीका ठाण, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसके दादा का नाम पंचायत रिकार्ड में राफूं राम दर्ज है जो कि सही है। परन्तु पटवार वृत्त ठाण महाल ठाण के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम जुल्फी दर्ज है जोकि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 04—12—2023 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख ठाण में जुल्फी उर्फ राफूं राम पुत्र झावंडिया इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 04—11—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी,
जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री विजय पाल सिंह पुत्र कर्म चन्द, निवासी टीका गुब्बर, डाकघर भेरडा, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2021—15734, दिनांक 16—08—2023 अनुसार श्री विजय पाल सिंह पुत्र कर्म चन्द, निवासी टीका गुब्बर, डाकघर भेरडा, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ—पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10—04—1985 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत भेरडा के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक

10–04–1985 दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत भेरडा में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री विजय पाल सिंह पुत्र कर्म चन्द, निवासी टीका गुब्बर, डाकघर भेरडा, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10–04–1985 को ग्राम पंचायत भेरडा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04–12–2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 04–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती मीरा देवी पुत्री रणबीर सिंह, निवासी टीका दरोगन, डाकघर ठाना, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

विषय.–दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2021–16981, दिनांक 01–09–2023 अनुसार श्रीमती मीरा देवी पुत्री रणबीर सिंह, निवासी टीका दरोगन, डाकघर ठाना, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ–पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 12–05–1967 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 12–05–1967 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मीरा देवी पुत्री रणबीर सिंह, निवासी टीका दरोगन, डाकघर ठाना, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 12–05–1967 को ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04–12–2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 04–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती आशा कुमारी पुत्री रणबीर सिंह, निवासी टीका दरोगन, डाकघर ठाना, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2021—16979, दिनांक 01—09—2023 अनुसार श्रीमती आशा कुमारी पुत्री रणबीर सिंह, निवासी टीका दरोगन, डाकघर ठाना, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ—पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 10—02—1963 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 10—02—1963 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती आशा कुमारी पुत्री रणबीर सिंह, निवासी टीका दरोगन, डाकघर ठाना, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 10—02—1963 को ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 04—12—2023 तक असालतन / वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 04—11—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

1. श्रीमती सोमा देवी पुत्री पृथी चन्द, निवासी टीका टिक्करी, डा0 समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

2. श्री कमल कुमार पुत्र मस्त राम, निवासी टीका छत्रैल, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

विषय.—विवाह पंजीकरण Under/ Section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 25–02–1995 को आपस में हिन्दू रीति–रिवाज अनुसार विवाह किया है। लेकिन किसी कारणवश यह विवाह ग्राम पंचायत बारीं में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थिया अब इस विवाह को ग्राम पंचायत बारीं के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह के पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 04–12–2023 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 04–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

1. श्रीमती रजनी ठाकुर पुत्री शेर सिंह, निवासी टीका डेरा परोल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

2. श्री अरूण कुमार पुत्र भूमि देव सिंह, निवासी टीका दरोगन, डा0 ठाना, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

विषय.–विवाह पंजीकरण Under/ Section 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अधीन दर्ज करवाने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण ने दिनांक 30–10–2003 को आपस में हिन्दू रीति–रिवाज अनुसार विवाह किया है। लेकिन किसी कारणवश यह विवाह ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट में दर्ज नहीं हो सका। प्रार्थिया अब इस विवाह को ग्राम पंचायत दरोगन पति कोट के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस विवाह के पंजीकरण बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 11–12–2023 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 10–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री दुर्गा दास, निवासी टीका छत्रैल, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2021—20192, दिनांक 07—10—2023 अनुसार श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री दुर्गा दास, निवासी टीका छत्रैल, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ—पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 12—07—1967 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत बारीं के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 12—07—1967 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत बारीं में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री दुर्गा दास, निवासी टीका छत्रैल, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 12—07—1967 को ग्राम पंचायत बारीं के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 11—12—2023 तक असालतन / वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 10—11—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्रीमती धर्मी देवी पुत्री जय गोपाल, निवासी टीका संगरोह, डा0 समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.—दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (Birth & Death) 2021—19282, दिनांक 27—09—2023 अनुसार श्रीमती धर्मी देवी पुत्री जय गोपाल, निवासी टीका संगरोह, डा0 समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड

व शपथ–पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 01–01–1944 को हुआ है। परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 01–01–1944 दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत समीरपुर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती धर्मी देवी पुत्री जय गोपाल, निवासी टीका संगरोह, डा0 समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01–01–1944 को ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 11–12–2023 तक असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 10–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

व अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी व तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती मीना कुमारी पत्नी संजीव कुमार, निवासी टीका बराडा, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

1. आम जनता

2. श्री रोडू पुत्र हरभज, निवासी टीका बराडा, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... प्रतिवादी।

विषय.– मकफूद–उल–खबरी बजरिया इश्तहार बारे।

यह दरख्वास्त श्रीमती मीना कुमारी पत्नी संजीव कुमार, निवासी टीका बराडा, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसके दादा ससुर श्री रोडू पुत्र हरभज, निवासी टीका बराडा, तहसील बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) लगभग पिछले 30 साल से लापता है। काफी खोजबीन उपरान्त भी उसके जीवित या मृत होने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। उसके नाम टीका बराडा में भूमि दर्ज है। प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि प्रतिवादी 02 की अचल सम्पत्ति का इन्तकाल मकफूद–उल–खबरी जायज वारसान के पक्ष में दर्ज किया जाये।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादी 01 व 02 को सूचित किया जाता है कि इन्तकाल मकफूद–उल–खबरी वहक वारसान/प्रार्थी दर्ज कर तसदीक करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर न्यायालय होकर दिनांक 04–12–2023 तक एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी व इन्तकाल मकफूद–उल–खबरी वहक वारसान/प्रार्थी दर्ज कर तसदीक कर दिया जायेगा। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 04–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौंणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Sh. Raman Kumar Sharma (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

Jigme Angchuk Bodh s/o Sh. Pyare Lal, r/o House No. 33, Ward No. 6 Manali, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)

and

Ringzin Angmo d/o Sh. Thakur Singh, r/o Village Shurad, P.O. Khokhan, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P)

Versus

General Public

An application for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Jigme Angchuk Bodh s/o Sh. Pyare Lal, r/o House No. 33, Ward No. 6 Manali, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Ringzin Angmo d/o Sh. Thakur Singh, r/o Village Shurad, P.O. Khokhan, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P) has presented an application on 31-10-2023 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any person have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 01-12-2023 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 3rd day of November, 2023.

Seal. Sd/-
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu (H.P.).

———————

In the Court of Sh. Hem Chand Verma H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Banjar, District Kullu (H.P.)

In the matter of :

1. Kamlesh Negi s/o Nikka Ram, Village Kharwali, P.O. & Tehsil Banjar, Distt. Kullu (H.P.).

2. Upasna Negi w/o Kamlesh Negi, Village Kharwali, P.O. & Tehsil Banjar, Distt. Kullu (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Kamlesh Negi and Upasna Negi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-10-1994 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid.*

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-12-2023. The objection received after 13-12-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-11-2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Banjar, District Kullu (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, जरी, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 10–MNT / 2023 दायर तिथि : 21–06–2023

1. श्री योगेश नेगी पुत्र श्री दुनी चन्द, निवासी गांव चौहकी, डाकघर जरी, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती जुबा देवी पुत्री श्री कृष्ण दास, निवासी गांव व डा0 मलाणा, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.–– प्रार्थना–पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 21–06–2023 को इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 15–06–2022 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति–पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत कसोल, उप–तहसील जरी जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह

दिनांक 23–12–2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13–10–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार,
जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार, जरी, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 09–MNT / 2023 दायर तिथि : 12–09–2023

1. श्री अगन प्रदीप पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव रशोल, डाकघर कसोल, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती निशा देवी पुत्री श्री बुधी सिंह, निवासी गांव व डा0 मलाणा, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.–– प्रार्थना–पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 12–09–2023 को इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 05–01–2022 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति–पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत छलाल, उप–तहसील जरी जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23–12–2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13–10–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी एवं ना0 तहसीलदार,
जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार जरी, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 11/BNT/2023 दायर तिथि : 14–02–2023

श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री चेत राम, निवासी गांव लपास, डा0 मनीकर्ण, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री चेत राम, निवासी गांव लपास, डा0 मनीकर्ण, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री की मृत्यु दिनांक 15–05–2020 को स्थान गांव लपास, डा0 मनीकर्ण, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुई है परन्तु वह अपनी पुत्री की मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत मनीकर्ण, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करा सकी।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती सुषमा पत्नी श्री ध्यान सिंह की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23–12–2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13–10–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
एवं नायब तहसीलदार,
जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार जरी, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 09/BNT/2023 दायर तिथि : 26–02–2023

श्रीमती लता देवी पुत्री श्री भेद राम, निवासी गांव बलाधी, डा0 कसलादी, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र अधिनियम धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्रीमती लता देवी पुत्री श्री भेद राम, निवासी गांव बलाधी, डा0 कसलादी, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसका जन्म दिनांक 17–07–1977 को स्थान गांव बलाधी, डा0 कसलादी, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु वह अपनी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत तलपीणी, उप–तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करा सकी।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती लता देवी पुत्री श्री भेद राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23–12–2023 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश संबन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 13–10–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी
एवं नायब तहसीलदार,
जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

सोनम पुत्र छोकपा, वार्ड नं0 7, हाऊस नं0 107, गोम्पा रोड़ मनाली, डा0 मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता

सोनम पुत्र छोकपा, वार्ड नं0 7, हाऊस नं0 107, गोम्पा रोड़ मनाली, डा0 मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि नगर परिषद् मनाली के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है, कि मेरी जन्म तिथि 04–09–1972 नगर परिषद् मनाली के अभिलेख में दर्ज की जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu की रिपोर्ट, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र नगर परिषद् मनाली, हल्फिया ब्यान, Central Tibetan Administration Kullu प्रमाण–पत्र e-FRRO प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लिखित ब्यान से पाया गया कि सोनम पुत्र छोकपा की जन्म तिथि 04–09–1972 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

सोनम पुत्र छोकपा, वार्ड नं0 7, हाऊस नं0 107, गोम्पा रोड़ मनाली, डा0 मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) की नगर परिषद् मनाली के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 13–12–2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार नगर परिषद् मनाली के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री हीरा लाल पुत्र श्री चौबे राम, निवासी गांव कन्याल, डा0 छियाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता

श्री हीरा लाल पुत्र श्री चौबे राम, निवासी गांव कन्याल, डा0 छियाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे आवेदन किया है, कि मेरी जन्म तिथि 12–03–1968 ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में दर्ज की जाए। इस बाबत Chief Medical Officer Kullu की रिपोर्ट, अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड और रिपोर्ट प्रधान पंचायत नसोगी से पाया गया कि श्री हीरा लाल पुत्र श्री चौबे राम की जन्म तिथि 12–03–1968 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

श्री हीरा लाल पुत्र श्री चौबे राम, निवासी गांव कन्याल, डा0 छियाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) की ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 13–12–2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत नसोगी के अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Shashi Sharma s/o Sh. Gopal Sharma, r/o H. No. 248/5, Near Zonal Hospital, Palace Colony Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Smt. Anikta d/o Sh. Hemant Kapoor, r/o Upper Bhiuli, Near Resort Bhiuli, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Shashi Sharma s/o Sh. Gopal Sharma, r/o H. No. 248/5, Near Zonal Hospital, Palace Colony Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Smt. Anikta d/o Sh. Hemant Kapoor, r/o Upper Bhiuli, Near Resort Bhiuli, P.O. Purani Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) at present wife of Sh. Shashi Sharma s/o Sh. Gopal Sharma, r/o H. No. 248/5, Near Zonal Hospital, Palace Colony Mandi, P.O. Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-10-2023 according to Hindu rites and customs at Annpurna Mata Temple Ladruhin, Jogindernagar, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 01-12-2023 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 2nd day of October, 2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

Before the Naib Tehsildar-cum**-Assistant Collector (2nd Grade), Mandap, Distt. Mandi (H.P.)**

Sanjeev Kumar s/o Late Sh. Mehar Chand @ Ramesh Kumar, r/o Bhataur, P.O. Pehad, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application for name correction

Whereas Sh. Sanjeev Kumar s/o Late Sh. Mehar Chand @ Ramesh Kumar, r/o Bhataur, P.O. Pehad, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.) has presented an application before the undersigned alongwith affidavit and other documents for the name correction of his father Sh. Mehar Chand as Mehar Chand @ Ramesh Kumar, r/o Bhataur, P.O. Pehad, Sub-Tehsil

Mandap, Distt. Mandi (H.P.) in the revenue record of Muhal Bhataur/119, Kulwahan/127 and Kumharda/118, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.) where it is entered as Mehar Chand.

Therefore, by this public notice, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the name correction of Sh. Mehar Chand @ Ramesh Kumar, r/o Bhataur, P.O. Pehad, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 14-12-2023 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of said period.

Given under my hand and seal of the court on this 9th day of November, 2023.

Seal. Sd/-

Naib Tehsildar-cum-*Assistant Collector (2nd Grade),*
Mandap, Distt. Mandi (H.P.).

Before the Assistant Collector (2nd Grade) -cum**- Executive Magistrate, Mandap, Distt. Mandi (H.P.)**

Ravinder Thakur s/o Hem Raj, r/o Village Thana, P.O. Baroti, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application for name correction

Whereas Ravinder Thakur s/o Hem Raj, r/o Village Thana, P.O. Baroti, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.) has presented an application before the undersigned alongwith affidavit and other documents for the name correction as Ravinder Thakur s/o Hem Raj, r/oVillage Thana, P.O. Baroti, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.) in the revenue record of Muhal Thana/128 and Kulwahan/127 Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.).

Therefore, by this public notice, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the name correction of Sh. Ravinder Thakur s/o Hem Raj, r/o Village Thana, P.O. Baroti, Sub-Tehsil Mandap, Distt. Mandi (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 07-12-2023 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of said period.

Given under my hand and seal of the court on this 26th day of October, 2023.

Seal. Sd/-

Assistant Collector (2nd Grade),
Mandap, Distt. Mandi (H.P.).

समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 14–12–2023

श्रीमती शारदा रानी पत्नी स्व0 श्री सन्तोष कुमार पुत्र दुलो राम, निवासी गांव पनीरू, डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) हाल निवासी रेलवे क्वार्टर नं0 E6/A रेलवे कॉलोनी नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्रीमती शारदा रानी पत्नी स्व0 श्री सन्तोष कुमार पुत्र दुलो राम, निवासी गांव पनीरू, डाकघर बाग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) हाल निवासी रेलवे क्वार्टर नं0 E6/A रेलवे कॉलोनी नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 14–11–2023 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थिया का वास्तविक नाम शारदा रानी है तथा प्रार्थिया की अलपव्यस्क पुत्री का वास्तविक नाम सानवी वर्मा है, परन्तु प्रार्थिया का नाम राजस्व अभिलेख महाल पनीरू में शारदा राणी और प्रार्थिया की अलपव्यस्क पुत्री का नाम कुमारी सन्वी दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थिया ने अपने नाम तथा अपनी पुत्री के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल पनीरू में प्रार्थिया का नाम शारदा राणी के स्थान पर श्रीमती शारदा रानी पत्नी स्व0 श्री सन्तोष कुमार पुत्र दुलो राम, निवासी गांव पनीरू, डाकघर बाग, तहसील लड़भडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) व प्रार्थिया की पुत्री का नाम कुमारी सन्वी के स्थान पर सानवी वर्मा पुत्री स्व0 श्री सन्तोष कुमार पुत्र दुलो राम, निवासी गांव पनीरू, डाकघर बाग, तहसील लड़भडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 14–12–2023 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 14–12–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

तारीख पेशी : 21–12–2023

श्री प्रितम सिंह पुत्र श्री धोगरी पुत्र श्री लौहकू, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री प्रितम सिंह पुत्र श्री धोगरी पुत्र श्री लौहकू, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 14–11–2023 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम प्रितम सिंह है परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल भडोल में प्रीतम दास दर्ज हो चुका है जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा पत्र, परिवार नकल व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल भडोल में प्रार्थी का नाम प्रीतम दास के स्थान पर प्रितम सिंह पुत्र श्री धोगरी पुत्र श्री लौहकू, निवासी गांव भडोल, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21–12–2023 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 16–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 31 / 13B / 19 तारीख दायर : 14–09–2020

महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 भजन दास उर्फ भजू, निवासी गांव उरमन, डाकघर मुनीश बाहली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 भजन दास उर्फ भजू, निवासी गांव उरमन, डाकघर मुनीश बाहली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, शपथ–पत्र व राशन कार्ड में महेन्द्र सिंह दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल बाहली के कागजात माल में वादी का नाम विरेन्द्र सिंह दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल बाहली के कागजात माल में अपना नाम विरेन्द्र सिंह के स्थान पर महेन्द्र सिंह दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 02–12–2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 02–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 32 / 13B / 18 तारीख दायर : 14–09–2020

लीला देवी पत्नी स्व0 श्री भजन दास, निवासी गांव उरमन, डाकघर मुनीश बाहली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दुरुस्ती)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त लीला देवी पत्नी स्व0 श्री भजन दास, निवासी गांव उरमन, डाकघर मुनीश बाहली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थिया का नाम मुताबिक आधार कार्ड, शपथ–पत्र, नकल परिवार रजिस्टर व राशन कार्ड में लीला देवी दर्ज है जो सही व दुरुस्त है परन्तु महाल बाहली, (पटवार वृत्त मुनीश बाहली) के कागजात माल में प्रार्थिया का नाम लाली देवी दर्शाया गया है जो सही नहीं है। प्रार्थिया महाल बाहली के कागजात माल में अपना नाम लाली देवी के स्थान पर लीला देवी दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थिया का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 02–12–2023 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 02–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री सुख राम पुत्र श्री कली राम, ग्राम शिला बदलावग, डाकघर चम्बी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

जन्म का इन्द्राज करने बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुख राम पुत्र श्री कली राम, ग्राम शिला बदलावग, डाकघर चम्बी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र अभिलक्ष की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ननाहर के जन्म रजिस्टर में अपनी गलती से दर्ज नहीं करवाई है। उसके पुत्र का जन्म 26–07–2019 को हुआ था। प्रार्थना–पत्र के साथ अपना शपथ–पत्र, दो गवाहों के शपथ–पत्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जारी प्रमाण–पत्र व नकल परिवार रजिस्टर संलग्न किये हैं। प्रार्थी अपने पुत्र अभिलक्ष का नाम परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत नाहर में पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस / इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को अभिलक्ष पुत्र श्री सुख राम को परिवार रजिस्टर में तथा जन्म तिथि 26–07–2019 ग्राम पंचायत ननाहर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 11–12–2023 को प्रातः 10.00 बजे लिखित या मौखिक इस अदालत में प्रस्तुत करे। दीगर सूरत में अभिलक्ष पुत्र श्री सुख राम के नाम को ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में व जन्म तिथि को जन्म रजिस्ट्रर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण धारा 13(3) के अन्तर्गत दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

जन्म का इन्द्राज करने बारे।

श्रीमती राधा पुत्री श्री लच्छी राम, ग्राम देलमू, डाकघर सरी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती राधा पुत्री श्री लच्छी राम, ग्राम देलमू, डाकघर सरी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी माता श्रीमती फुलमा देवी की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत सरी के मृत्यु अभिलेख में समय

रहते दर्ज नहीं करवाया है। प्रार्थिया अपनी माता की इकलौती जायज वारिस है। श्रीमती फुलमा देवी की माता की मृत्यु दिनांक 03–03–2021 को ग्राम देलमू में हुई है। प्रार्थिया अपनी माता फुलमा देवी पत्नी स्व0 श्री लच्छी राम की मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत सरी के अभिलेख में दिनांक 03–03–2021 दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थना–पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर की छायाप्रति, प्रपत्र 10, अपना शपथ–पत्र, दो गवाहों के शपथ–पत्र संलग्न किये हैं।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस / इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती फुलमा बेवा स्व0 श्री लच्छी राम, निवासी ग्राम देलमू की मृत्यु दिनांक 03–03–2021 का इन्द्राज ग्राम पंचायत सरी के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 11–12–2023 को प्रातः 10.00 बजे लिखित या मौखिक इस अदालत में प्रस्तुत करे। दीगर सूरत में श्रीमती फुलमा बेवा स्व0 श्री लच्छी राम की मृत्यु का इन्द्राज दिनांक 03–03–2021 को ग्राम पंचायत सरी के मृत्यु रजिस्टर में अंकित करने बारे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण धारा 13(3) के अन्तर्गत आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

Application for Death Registration

श्रीमती तृप्ता सूद पत्नी स्व0 प्रेम प्रकाश, ग्राम व डाकघर चौपाल, (हाल आबाद H. No. A 21 sai Appartment Sec. 13, Rohani Delhi-110085, Mob. No. 989962035) जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

आम जनता को अस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ता सूद पत्नी स्व0 प्रेम प्रकाश, ग्राम व डाकघर चौपाल, (हाल आबाद H. No. A 21 sai Appartment Sec. 13, Rohani Delhi-110085, Mob. No. 989962035) जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसके पति प्रेम प्रकाश सूद पुत्र श्री अनन्त राम का देहान्त चौपाल नेरवा मार्ग पर वाहन दुर्घटना में दिनांक 27–04–1967 को हो गया था। इस आशय की प्राथमिकी थाना चौपाल में भी दर्ज करवाई गई थी। अज्ञानता के कारण मृतक प्रेम प्रकाश सूद की मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत चांजू चौपाल के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी। पति की मृत्यु के बाद वह यहां से चम्बा अपने मायके चली गई थी। मेरे पति प्रेम प्रकाश की मृत्यु का पंजीकरण करने हेतु उप–पंजीपाल ग्राम पंचायत चांजू चौपाल को आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रार्थना–पत्र के साथ प्ररूप 10 व प्राथमिकी की प्रति जो पुलिस थाना चैपाल द्वारा जारी की गई है संलग्न की है। अब प्रार्थिया अपने मृतक पति की मृत्यु का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण धारा 13(3) के अन्तर्गत करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को मृतक प्रेम प्रकाश सूद पुत्र श्री अनन्त राम, निवासी ग्राम व डा0 चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0) की मृत्यु का पंजीकरण धारा 13(3) के अन्तर्गत करने में कोई एतराज हो तो दिनांक 11–12–2023 को इस अदालत में असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो हाजिर आकर पेश करें। दीगर सूरत में मृतक

की मृत्यु दिनांक 27–04–1967 का पंजीकरण धारा 13(3) के अन्तर्गत करने के आदेश सम्बन्धित पंजीकार / उप–पंजीकार ग्राम पंचायत चांजू चौपाल को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

In the matter of :

Nivodita Sharma d/o Sh. Satpal Sharma, r/o V.P.O. Nirath, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh

Through her father

Sh. Satpal Sharma s/o Lt. Sh Shyama Nand, r/o V.P.O. Nirath, Tehsil Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Proclamation Regarding Correction of Name

Whereas, the above named applicant have made an application with enclosed documents/proof before me regarding correction of their name as Nivodita Sharma d/o Sh. Satpal Sharma in place of Navodita d/o Sh. Satpal Sharma in the record of Gram Panchayat Nirath.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to correction/change their name as Nivodita Sharma d/o Sh. Satpal Sharma in place of Navodita d/o Sh. Satpal Sharma they should appear before the undersigned on or before 20-12-2023 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 21st day of the November, 2023 under my hand and seal of the Court.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,
District Shimla, Himachal Pradesh

In the matter of:

1. Mr. Jayant Kumar s/o Sh. Surjan Singh Negi, r/o Village & P.O. Deothi, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

2. Ms. Pooja Banshtu d/o Sh. Shishu Pal Banshtu, r/o Village Bartu, P.O. Seema, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Registration of marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith relevant records and affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 18-11-2020 at Hotel Lok Sewa Grand, Rohru, District Shimla (H.P.) with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the record of Gram panchayat Deothi, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary order of the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, they should appear before the undersigned on or before 17-12-2023 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 18th day of the November, 2023 under my hand and seal of the Court.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री विष्णु नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील सराहन,
जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 13 / 18 तारीख दायर : 30–01–2023

श्री नरेश कुमार पुत्र गोपाल सिंह, गांव रक्षम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) .. प्रतिवादी।

नरेश कुमार

बनाम

कमला आदि

1. श्रीमती कमला पुत्री श्री डोडलू, गांव रक्षम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0), 2. श्री सरजन देवी पत्नी श्री बादरी रत्न, गांव बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0), 3. श्री बिरबल पुत्र इन्द्र सैन, गांव बरी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0), 4. श्री सुशील पुत्र बादरी, गांव बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0), 5. श्री मुकेश चन्द पुत्र नवांग छोपेल, गांव मौरंग, जिला किन्नौर (हि0प्र0), 6. श्री ठाकुर सिंह पुत्र बिदाल, गांव सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0, बाबत अराजी खाता / खतौनी नम्बर 161 / 412, ता 428, कित्ता 26, रकबा तादादी 01–20–41 है0, चक त्यावल, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बजरिया इश्तहार बनाम प्रतिवादी :

प्रार्थी श्री नरेश कुमार पुत्र गोपाल सिंह, गांव रक्षम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अराजी खाता / खतौनी नम्बर 161 / 412, ता 428, कित्ता 26, रकबा तादादी 01–20–41 है0, चक त्यावल, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी हैं जो इस अदालत में विचाराधीन है। जिसमें उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से न होनी पाई जा रही है। अब अदालत को यह यकीन हो चुका है कि इस तकसीम प्रकरण में तामील वजरिया इश्तहार किया जाना उचित प्रतीत होगा।

लिहाजा प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 20–12–2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 21–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री विष्णु नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 13 / 21 तारीख दायर : 26–08–2021

श्रीमती गरिमा देवी पुत्री श्री डोलू उपनाम धीरज राम हाल पत्नी मिंजू राम, गांव नवारा, डा0 ज्यूरी, उप–तहसील सराहन (हि0प्र0) .. प्रतिवादी।

गरिमा देवी

बनाम

मोहन लाल आदि

1. श्री मोहन लाल पुत्र डोलू उपनाम धीरज राम निवासी सुख राम, पंकज काटेज देवनगर, कुसुम्पटी, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती लंगी देवी विधवा श्री डोलू उप नाम धीरज राम निवासी सुख राम, पंकज काटेज देवनगर, कुसुम्पटी, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्री सागर दास पुत्र श्री भदरू राम, गांव त्यावल, डा0 ज्यूरी, उप–तहसील सराहन (हि0प्र0), 4. श्री राज कुमार पुत्र बसंत, गांव नालिंग, डा0 रूपि, उप–तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0प्र0), 5. श्रीमती गंगा पत्नी श्री आदित्या गांव व डा0 सुन्नी, जिला शिमला (हि0प्र0)

.. प्रतिवादी।

दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0, बाबत अराजी खाता / खतौनी नम्बर 246 मिन / 159, खसरा नं0 2325 / 1006, रकबा तादादी 00–17–14 है0, व खाता / खतौनी 80 मिन / 160, खसरा नं0 496, रकबा तादादी 00–06–89 है0, खाता / खतौनी नम्बर 245 मिन / 558, खसरा नं0 495, रकबा तादादी 00–07–67 है0, चक त्यावल, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बजरिया इश्तहार बनाम प्रतिवादी :

प्रार्थिया श्रीमती गरिमा देवी पुत्री श्री डोलू उपनाम धीरज राम हाल पत्नी मिंजू राम, गांव नवारा, डा0 ज्यूरी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता / खतौनी नम्बर 246 मिन / 159, खसरा नं0 2325 / 1006, रकबा तादादी 00–17–14 है0, व खाता / खतौनी 80 मिन / 160, खसरा नं0 496, रकबा तादादी 00–06–89 है0, खाता / खतौनी नम्बर 245 मिन / 558, खसरा नं0 495, रकबा तादादी 00–07–67 है0, चक त्यावल, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है जो इस अदालत में विचाराधीन है। जिसमें उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से न होनी पाई जा रही है। अब अदालत को यह यकीन हो चुका है कि इस तकसीम प्रकरण में तामील वजरिया इश्तहार किया जाना उचित प्रतीत होगा।

लिहाजा प्रतिवादीगण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 20–12–2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 21–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

प्रकरण संख्या : 27 / 23

श्रीमती कोमल पुत्री सुरेश कुमार, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

.. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कोमल पुत्री सुरेश कुमार, निवासी अमरगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 29–08–2001 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पुरुवाला में अपनी ऊपरवर्णित स्वयं की जन्म तिथि 29–08–2001 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती कोमल पुत्री सुरेश कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 04–12–2023 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती कोमल की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत पुरुवाला में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04–11–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

प्रकरण संख्या : 26 / 23

श्री ईदा अली पुत्र शमशेर अली, निवासी हरिपुर टोहाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ·· वादी।

बनाम

आम जनता ·· प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ईदा अली पुत्र शमशेर अली, निवासी हरिपुर टोहाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 10–03–1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भुंगरनी में अपनी ऊपरवर्णित स्वयं की जन्म तिथि 10–03–1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री ईदा अली पुत्र शमशेर अली की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भुंगरनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 04–12–2023 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री ईदा अली की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत भुंगरनी में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04–11–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती चम्पा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह एवं श्रीमती हर देवी, निवासी गांव गाड़ा भूड्डी, डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) हाल निवासी गांव भलगांव, डा0 एवं तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती चम्पा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह एवं श्रीमती हर देवी, निवासी गांव गाड़ा भूड्डी, डा0 शम्भूवाला, ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) हाल निवासी गांव भलगांव, डा0 एवं तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 05–04–1961 है, जोकि ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14–12–2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर / एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती चम्पा देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह एवं श्रीमती हर देवी की जन्म तिथि 05–04–1961 ग्राम पंचायत सतीवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 07–11–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती नन्दा देवी पुत्री श्री नरायण सिंह एवं श्रीमती पदमा देवी, निवासी मकान नं0 28 / 12, मोहल्ला शमशेरपुर कैंट, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती नन्दा देवी पुत्री श्री नरायण सिंह एवं श्रीमती पदमा देवी, निवासी मकान नं0 28 / 12, मोहल्ला शमशेरपुर कैंट, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 05–05–1960 है, जोकि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14–12–2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर / एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थिया श्रीमती नन्दा देवी पुत्री श्री नरायण सिंह एवं श्रीमती पदमा देवी की जन्म तिथि 05–05–1960 नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 07–11–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री दयानंद शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : तारीख मरजुआ :

श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी कोट डांगर, मौजा धरोटी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार बाबत कागजात माल में दुरुस्ती बारे।

वादी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी कोट डांगर, मौजा धरोटी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 37(1) हि0प्र0 भू–अधिनियम 1954 के तहत अपने पिता श्री प्रेम सिंह पुत्र करम भगत, निवासी कोट डांगर, मौजा धरोटी, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की वरास्त का इन्तकाल दर्ज करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। श्री विक्रम सिंह के द्वारा आवेदन पत्र में बताया गया कि उनके पिता लगभग 8 वर्ष पहले से लापता हैं। जिनको बहुत बार ढंढूने पर भी उनका कोई पता मालूम नहीं हो सका जिससे यह माना जाए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। सायल द्वारा सरकार तथा भूमि से अपने लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता की वरास्त का इन्तकाल श्री विक्रम सिंह, बलदेव सिंह व श्रीमती सुमन पुत्र व पुत्री श्री प्रेम सिंह के नाम दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आवेदक के पिता श्री प्रेम सिंह पुत्र करम सिंह के बारे कोई जानकारी या एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा पटवारी राजगढ़ को श्री प्रेम सिंह पुत्र करम भगत को मृत मानकर इनकी वरास्त का इन्तकाल इनके वारसान के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 06–11–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री युवराज अभिमन्यु पुत्र शंकर दास, वासी बाथु, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख बाथु, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट मिन 254, खतौनी 298, जमाबन्दी साल 2017–18 महाल बाथु, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री युवराज अभिमन्यु पुत्र शंकर दास, वासी बाथु, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम युवराज पुत्र शंकर दास गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम युवराज पुत्र शंकर दास की बजाये युवराज उपनाम युवराज अभिमन्यु पुत्र शंकर दास दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार / नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 01–12–2023 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर / एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 08–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री विशन दास पुत्र हरी दास, वासी वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख रोड़ा वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट नं0 547, 545, 544, 543, 542 मिन, खतौनी नं0 713, 711, 710, 709, 708, जमाबन्दी साल 2017–18 महाल रोड़ा वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री विशन दास पुत्र हरी दास, वासी वालीवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल रोड़ा वालीवाल, जमाबन्दी साल 2017–18 में प्रार्थी का नाम विसी राम पुत्र हरी दास गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम विसी राम पुत्र हरी दास की बजाये विशन दास पुत्र हरी दास, महाल रोड़ा वालीवाल में सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार / नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 04–12–2023 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर / एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 07–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 232 / NTBC / 2023 किस्म दावा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 12–12–2023

जय सिंह

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है जिसमें उसने अपना नाम जय सिंह पुत्र बाबू राम, वासी महाल चंगर, जिला ऊना (हि0प्र0) बताया है जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल चंगर, खेवट नं0 77, जमाबन्दी वर्ष 2017–18 के अनुसार जैसी राम पुत्र बाबू राम दर्ज है। प्रार्थी जैसी राम की बजाए जैसी राम उपनाम जय सिंह पुत्र बाबू राम, वासी महाल चंगर, जिला ऊना (हि0प्र0) करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल चंगर, उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति / एतराज हो तो वह निर्धारित पेशी दिनांक 12–12–2023 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन

अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 06–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी), उप–तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

शमा कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द, वासी हीरा, मौजा व उप–तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

इश्तहार मुश्त्री मुनादी जेर धारा 23 हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954

प्रार्थिया शमा कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द, वासी हीरा, मौजा व उप–तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल हीरा व भड़ियारा में उसका नाम शमा रानी गलत दर्ज हुआ है जिसकी दुरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल हीरा, मौजा दुलैहड़ व भड़ियारा में उसका नाम शमा कुमारी दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर / एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 08–12–2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन / वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी),
उप–तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्रीमती कशमीरी देवी पत्नी जोती राम, वासी महाल दुलैहड़ी ब्राह्मणा, उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बाबत किये जाने दर्ज मकफूद–उल–खबरी इन्तकाल कागजात माल।

श्रीमती कशमीरी देवी पत्नी जोती राम पुत्र वृज लाल, वासी महाल दुलैहड़ी ब्राह्मणा, उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पति जोती राम पुत्र वृज लाल दिनांक 06–12–2015 को दिल्ली में लापता हो गए थे जिनके जिन्दा व मृत्त होने बारे आज दिन तक कोई सूचना प्राप्त न हुई है। उनके लापता होने बारे दिनांक 06–12–2015 को दिल्ली पुलिस स्टेशन में जोती राम के रिश्तेदार हरी राम शर्मा द्वारा जोती लाल शर्मा के नाम से लापता होने की रपट दर्ज करवाई गई है। चुंकि जोती राम को लापता हुए 7 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है व लापता जोती राम की पत्नी श्रीमती कशमीरी देवी स्वयं व अपने पुत्रों विमल कुमार व सुनील कुमार के नाम पर जोती राम की भूमि का इन्तकाल करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को जोती राम पुत्र वृज लाल, वासी महाल दुलैहड़ी ब्राह्मणा, उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) का मकफूद–उल–खबरी इन्तकाल कागजात माल दुलैहड़ी ब्राह्मणा (खेवट नं0 14, 22, 23, जमाबन्दी वर्ष 2017–18) उसके जायज वारसान के नाम दर्ज करने बारे कोई एतराज / आपत्ति हो तो वह निर्धारित आगामी पेशी दिनांक 06–12–2023 से पूर्व या पेशी वाले दिन इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी के हाजिर न होने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री बलदेव सिंह, वासी गांव भैरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. श्रीमती निशा शर्मा पुत्री अशोक कुमार, वासी गांव बणे–दी–हट्टी, डा0 मुबारिकपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

श्री मनीष कुमार पुत्र श्री बलदेव सिंह, वासी गांव भैरा, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती निशा शर्मा पुत्री अशोक शर्मा, वासी गांव बणे–दी–हट्टी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 15–05–2023 को मुताबिक हिन्दू रीति–रिवाज के साथ हुई है और तब से बतौर पति–पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत भैरा के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16–12–2023 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करें अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 07–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Gagret, District Una, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Vinod Kumar s/o Shri Gian Chand, r/o Village Kartoli, P.O. Ram Garh Sikri, Tehsil Mukerian, District Hoshiarpur (Punjab).

2. Shakuntla Devi wd/o Mahinder Pal, r/o Ward No. 03, Village Abhaypur, P.O. Bhaderkali, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.).

Versus

General Public

Subject .—Application for the registration of Marriage u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Shri Vinod Kumar s/o Shri Gian Chand, r/o Village Kartoli, P.O. Ram Garh Sikri, Tehsil Mukerian, District Hoshiarpur (Punjab) and Shakuntla Devi wd/o Mahinder Pal, r/o Ward No. 03, Village Abhaypur, P.O. Bhaderkali, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) at present wife of Shri Vinod Kumar s/o Shri Gian Chand, r/o Village Kartoli, P.O. Ram Garh Sikri, Tehsil Mukerian, District Hoshiarpur (Punjab) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.) that they have solemnized their marriage on 07-08-2023 according to Hindu rites and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-12-2023, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 09-11-2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Gagret, District Una (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, घनारी, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)

विवाह पंजीकरण–घनारी / 2023

श्री सुरिन्दर शर्मा पुत्र आज्ञा राम, निवासी गांव व डा0 मवा कहोलां, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्रीमती उषा शर्मा पुत्री साईं दास, निवासी नगर पंचायत गगरेट, उप–तहसील गगरेट स्थित कलोह, जिला ऊना (हि0प्र0) प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय : प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है कि उनकी शादी दिनांक 13–10–1995 को मुताबिक हिन्दू रीति रिवाज हुई थी परन्तु अज्ञानतावश शादी का पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं करवा सके। प्रार्थीगण ने अपनी शादी की पुष्टि बारे शपथ पत्र व दोनों के आधार कार्ड व सम्बन्धित प्रधान / सचिव ग्राम / नगर पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रार्थना–पत्र के साथ दायर किए हैं। रिपोर्ट सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार विवाह पंजीकरण / सचिव ग्राम पंचायत / सचिव नगर पंचायत के अनुसार उक्त शादी सम्बन्धित ग्राम / नगर पंचायत में दर्ज न है। अब प्रार्थीगण अपनी शादी पंजीकृत करवाना चाहते हैं।

अतः आम जनता को इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23–12–2023 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें। गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही करके नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम / नगर पंचायत को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 18–11–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।